चार हफ्ते में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश

लखनऊ, 4 सितंबर (भाषा)।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को चार सप्ताह के अंदर भर लिया जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इन चार हफ्तों में नियुक्ति नहीं होती तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना होगा। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने डॉ नूतन ठाकुर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उक्त पद को जल्द भरने का आदेश दिया है लेकिन बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है।

विधायक के कोरोना संक्रमित भाई ने की आत्महत्या

कन्नौज, 4 सितंबर (भाषा)।

जिले के तिर्वा सीट से भाजपा विधायक कैलाश राजपूत के भाई संजय राजपूत ने शुक्रवार को एक मेडिकल कॉलेज की छत से कूद कर आत्महत्या कर ली। वह कोरोना से संक्रमित थे और तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें शुक्रवार को ही इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था।

शांतिपूर्ण समाधान

नई दिल्ली, 4 सितंबर (भाषा)।

भारत ने उम्मीद जताई कि दशकों पुराने सीरियाई संघर्ष का सभी पक्षों को शामिल करते हुए सीरिया नीत वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण हल हो।

MBL Infrastructures Ltd.

CIN: L27109DL1995PLC338407
Corp. & Regd. Office: Baani Corporate One Tower, Suite No. 308, 3rd Floor, Plot No. 5, District Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025
Tel : +91- 011 48593300, Fax : +91-11-4859 3320,
email :cs@mblinfra.com, Website: www.mblinfra.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting (AGM) of MBL Infrastructures Ltd. (the Company) will be held on Wednesday, 30th September, 2020, at 3.30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, to transact the business(es) as set out in the Notice which is being circulated for convening the AGM. The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM is provided in the Notice to the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.

The Notice of the AGM and Annual Report for the year ended 31st March, 2020, will be sent electronically to Members of the Company whose email addresses are registered with the Depositories / Link Intime India Private Limited, RTA. These documents are also available on the Company's website www.mblinfra.com and on the website of the Stock Exchanges www.bseindia.com and nseindia.com.

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has made arrangement with NSDL to provide remote e-voting and e-voting during the AGM on the resolutions to be considered at the AGM.

Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM for information purpose only. The manner of remote e-voting and voting at the AGM for members holding shares in physical mode or in dematerialized form or who have not registered their email address with the Company/Depository Participant, is provided in the notice of the AGM and is available on the website of the Company www.mblinfra.com. Persons becoming Members of the Company after despatch of the Notice of the AGM but on or before 23rd September 2020 may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or delhi@linkintime.co.in requesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose.

The period for remote e-voting starts at 9.00 a.m. on Sunday, 27th September, 2020 and ends at 5.00 p.m. on Tuesday, 29th September, 2020, thereafter the remote e-voting will be blocked by NSDL. Further, once the vote on a resolution is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. Members who have cast their votes by remote e-voting may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes at the meeting once again.

In case of any query / grievance relating to AGM, Members may write to Mr. Anubhav Maheshwari, Company Secretary, MBL Infrastructures Ltd., Baani Corporate One, Suite No. 308, 3rd Floor, Plot No. 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi- 110025 or contact at 011-48593300 or through email: cs@mblinfra.com. Further for e-voting queries, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for them under the "Downloads" section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr Amit Vishal, Senior Manager, NSDL @ amitv@ nsdl.co.in/ 022-24994360 or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL @ pallavid@nsdl.co.in/022-24994545

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and other applicable provisions, if any, the Register of Members & Share Transfer books of the Company will remain closed from 24th September 2020 to 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

By Order of the Board
For **MBL Infrastructures Ltd.**
Sd/-
Anubhav Maheshwari
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 05.09.2020

एमएमटीसी लिमिटेड MMTC LIMITED

भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
पंजीकृत कार्यालय : कोर-1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003-भारत
कॉर्पोरेट पहचान संख्या L51909DL1963GOI004453

सेबी (लिस्टिंग ऑबलिगेशन एवं डिसक्लोजर रिकवायरमेंटस) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 47(1) के अनुपालन में यह सूचित किया जाता है कि 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के एमएमटीसी लिमिटेड के अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं उनके अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल की बैठक दिनांक **14 सितंबर, 2020** को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय कोर-1, स्कोप काम्पलेक्स 7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003 में आयोजित की जाएगी।

कृते एमएमटीसी लिमिटेड
ह/-
(जी. आनन्दनारायणन)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक : 04.09.2020

सोलिस मार्केटिंग लिमिटेड

(पूर्व में सूर्या मार्केटिंग लिमिटेड के रुप में जाना जाता है)
पंजीकृत कार्यालय : हाउस नंबर-4346, ग्राउंड फ्लोर, गली न. 4सी अनसारी रोड, दरिया गंज नई दिल्ली – 110002
ई-मेल : suryamarket@yahoo.com,
वेबसाइट : www.suryamkt.com
CIN: L29130DL1985PLC021802

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 35वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को प्रात : 9:30 बजे खसरा नं. 2/13/1, तहसील नजफगढ़ विलेज पंडवाला काला दिल्ली – 110043** में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।

कथित सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची और निर्देशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण से शामिल वार्षिक रिपोर्ट **02 सितम्बर, 2020** को सभी सदस्यों के पंजीकृत पते या ई-मेल आईडी पर भेज दी गई है और ये कम्पनी की वेबसाइट www.suryamkt.com पर भी उपलब्ध है तथा एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई 'रिमोट ई-वोटिंग'' के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम में सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की जाती है और ऐसी वोटिंग के माध्यम से सभी कामकाज निष्पादित किये जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि **25 सितम्बर, 2020 (प्रात : 9.00 बजे)** प्रारंभ होगी और **27 सितम्बर, 2020 (सायं 5.00 बजे)** बंद होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। **रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को (सायं 5.00)** बजे व्यवसाय घंटों की समाप्ति के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का वोटिंग अवधि **21 सितम्बर, 2020** (कट-ऑफ तिथि) को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपातिक होगा। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कम्पनी का सदस्य है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए योग्य है।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए योग्य है। ऐसा व्यक्ति **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि सदस्य पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वहीं एजीएम में अपना वोट देने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर हेल्प सैक्शन के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या ई-मेल: **evoting@nsdl.co.in** पर लिख सकते हैं या एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नं. 1800222990 पर सम्पर्क कर सकते हैं या श्री नितिन एमबुरे, उपाध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड-ए विंग, कमला मिल्स कम्पाउंड, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से सम्पर्क कर सकते हैं। किसी भी शिकायत/समस्या के लिए सदस्यगण **मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड** कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **23 सितम्बर, 2020 से 26 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल)** बंद रहेंगे।

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का हकदार व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना वोट दे सकता है बशर्ते कि सभी प्राक्सी के लिए निर्धारित प्रारूप/बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित प्रॉक्सी फार्म बैठक से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया गया हो।

के लिए और बोर्ड की ओर से
सोलिस मार्केटिंग लिमिटेड
हस्ता/-
वीरेंद्र सिंह राणा
निदेशक

दिनांक : 04.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

फन्नी सॉफ्टवेयर लिमिटेड

CIN : L72300DL2007PLC165836
पूर्व में फन्नी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था
पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. 208, दूसरा तल, प्लॉट नं. ए-1, मधुवन टॉवर, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर दिल्ली – 110092
वेबसाइट : www.funnysoftwarelimited.com
ई-मेल: funny_soft@yahoo.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 13वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, **28 सितम्बर, 2020 को प्रात : 9:00 बजे खसरा नं. 2/13/1, तहसील नजफगढ़, विलेज शरपुर डायरी, दिल्ली'-110043** में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार का निष्पादन किया जाएगा।

प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची एवं निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से शामिल वार्षिक रिपोर्ट के साथ कथित सूचना सभी सदस्यों को **02 सितम्बर, 2020** को उनके पंजीकृत पते या ई-मेल आईडी पर भेज दी गई है और यह कम्पनी की वेबसाइट www.funnysoftwarelimited.com पर भी उपलब्ध है तथा एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई 'रिमोट ई-वोटिंग'' के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम में सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की जाती है और ऐसी वोटिंग के माध्यम से सभी कामकाज निष्पादित किये जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि **25 सितम्बर, 2020 (प्रात : 9.00 बजे)** प्रारंभ होगी और **27 सितम्बर, 2020 (सायं 5.00 बजे)** बंद होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। **रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को (सायं 5.00)** बजे व्यवसाय घंटों की समाप्ति के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का वोटिंग अवधि **21 सितम्बर, 2020** (कट-ऑफ तिथि) को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपातिक होगा। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कम्पनी का सदस्य है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए योग्य है।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए योग्य है। ऐसा व्यक्ति **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि सदस्य पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वहीं एजीएम में अपना वोट देने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर हेल्प सैक्शन के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या ई-मेल: **evoting@nsdl.co.in** पर लिख सकते हैं या एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नं. 1800222990 पर सम्पर्क कर सकते हैं या श्री नितिन एमबुरे, उपाध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड-ए विंग, कमला मिल्स कम्पाउंड, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से सम्पर्क कर सकते हैं। किसी भी शिकायत/परेशानी के लिए सदस्य मैसर्स स्काईलाइन फाइनांसिल सर्विसेस प्रा. लि. कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **24 सितम्बर, 2020 से 27 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल)** बंद रहेंगे।

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का हकदार व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना वोट दे सकता है बशर्ते कि सभी प्राक्सी के लिए निर्धारित प्रारूप/बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित प्रॉक्सी फार्म बैठक से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया गया हो।

बोर्ड के आज्ञानुसार
फन्नी सॉफ्टवेयर लिमिटेड
हस्ता/-
राम नरेश
निदेशक

दिनांक : 04.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

CIN: L40101HR1975GOI032564
पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, (हरियाणा)-121003
ई-मेलः companysecretary@nhpc.nic.in, टेलीफैक्सः 0129-2588110,
वेबसाइटः www.nhpcindia.com

44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-मतदान की जानकारी और बही बंदी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 44वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं इस निमित्त बनाए गए नियमों और दिनांक 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 [सेबी(एलओडीआर)], और कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों (''एमसीए'') और सेबी (सामूहिक रूप से ''सुसंगत परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में दिनांक 01 सितंबर, 2020 की वार्षिक आम बैठक आमंत्रण सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए कारोबार को संचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को 3.00 बजे आयोजित की जाएगी। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 माना जाएगा। सुसंगत परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के उन सभी सदस्यों (शुक्रवार, 21 अगस्त, 2020 को व्यवसाय का समय के बंद होने तक सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी स्वामियों की सूची के अनुसार) जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी सहभागियों (डीपी) / आरटीए / कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 दिनांक 3 सितंबर, 2020 को भेज दी गई है। पूर्वकथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

आगे यह सूचित किया जाता है कि सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 42, के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक, शनिवार, 19 सितंबर, 2020 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट दस्तावेज सदस्यों के लिए एजीएम की सूचना की तारीख से निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए एजीएम की तारीख तक उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने वाले सदस्य अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करते हुए agm 2020@nhpc.nic.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 और सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, कंपनी को सदस्यों को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम 44वीं एजीएम में संचालित किए जाने वाले कारोबार पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने की खुशी है। कंपनी ने एजीएम के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं । सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मत दे सकते हैं । सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

(क) 44वीं एजीएम की सूचना में यथा विनिर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से संचालित किये जा सकते हैं;

(ख) सदस्य अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 44वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं;

(ग) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश और ई-वोटिंग की प्रक्रिया को इस तरह से संचालित करना है, जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए अनुसार ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैंय

(घ) रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 26 सितंबर, 2020 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी और सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर मत देने के पश्चात, उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ङ) वे सदस्य जिनके नाम कटऑफ तारीख अर्थात मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजटॉरीज द्वारा बनाई गई लाभकारी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वे ही एजीएम में भाग लेने और एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे;

(च) कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख अर्थात 22 सितंबर, 2020 तक शेयरों को धारित करता है, तो वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबरः 1800-222-990 पर कॉल करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में भी दी की गई है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल से पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग मत देने के लिए किया जा सकता है।

(छ) सदस्य नोट करे किः –

i- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपना मतदान किया है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

ii- लाभांश संबंधी सूचनाः–

क) अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों के हकदारी के निर्धारण के लिए यदि एजीएम द्वारा घोषित होने पर कंपनी ने शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 को ''रिकॉर्ड तिथि'' के रूप में तय किया है। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि के अनुसार लाभकारी स्वामियों की सूची / सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ख) प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, लाभांश का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा जिन्होंने डाक सेवाओं के सामान्य होने पर, अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है;

ग) लाभांश का भुगतान लागू दरों पर टैक्स एट सोर्स (टीडीएस) की कटौती के अधीन होगा, अधिक विवरण के लिए, एजीएम के नोटिस में दिए गए नोट को देखें।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्य एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों का संदर्भ देख सकते हैं या www.evoting.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित जानकारी और निर्देश ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को भेजे गए हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए।

किसी भी पूछताछ के मामले में, सदस्य कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ग्रहण करें अथवा टॉल फ्री नंबर 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल , मुंबई – 400013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नंबरः– +91 22 24994545, +91 22 24994559 पर संपर्क करें। इन व्यक्तियों से एजीएम से पहले या उसके दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग के साथ जुड़ी शिकायतों का निवारण और तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

(ज) जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि सहित सभी संचार प्राप्त करने के लिए, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (इलेक्ट्रॉनिक धारण के मामले में) के साथ पंजीकृत करें अथवा कंपनी (ईमेल आईडी agm2020@nhpc.nic.in)/आरटीए (ईमेल आईडीः balaji.reddy @kfintech.com) (भौतिक धारण के मामले में) के साथ फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम और प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), पैन (सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करके इसे पंजीकृत करें। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान को सुविधाजनक करने के लिए संबंधित डीपी (डीमैट होल्डिंग के मामले में) और आरटीए/ कंपनी (भौतिक धारण के मामले में) के साथ अपने बैंक विवरणों को अपडेट करें ।

वे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए agm2020@nhpc.nic.in पर सोमवार, 21 सितंबर, 2020 से गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 तक अपना अनुरोध भेजकर स्वंय को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वंय को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी के पास समय की उपलब्धता और एजीएम के सुचारू संचालन के अनुसार बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है। सदस्य कंपनी सचिव को agm2020@nhpc.nic.in पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिखित अनुरोध कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने पिछले वर्षों के लिए अपने लाभांश वारंट को संकोशित (एन्कैस्ड) या प्राप्त नहीं किया है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आरटीए को उसे पुनः वैंध करने या उसके डुप्लिकेट प्राप्त करने के लिए लिखें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ता/-
(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 04.09.2020

RattanIndia Infrastructure Limited

**Extract from the Unaudited Consolidated Financ